फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किशोरीलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0–86/2023

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.7600 है0 वाके ग्राम मुडियाखेडा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी रामस्वरूप पुत्र जौहरी गोविंदा पुत्र जौहरी धनबाई बेवा जौहरी रामेश्वर पुत्र जौहरी लल्लू पुत्र जौहरी समस्त जातियान मीना निवासी मुडियाखेडा के नाम चली आ रही है जिसमें से उक्त लोगो ने हिस्सा संपूर्ण में से रामस्वरूप व गोविंदा ने अपना हिस्सा सम्पूर्ण एवं धनबाई के हिस्से में से दर हिस्सा 1/2 का विक्रयनामा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2002 को उप पंजीयक कार्यालय सिकराय में पंजीकृत करवा दिया उस विक्रय पत्र में कुल 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूदान का नोट अंकन होने से प्रार्थी के हक में नामान्तकरण नहीं खुल सका। यह है कि उक्त भूमि के साबिक नम्बर 149 रकबा 3 बीघा खतौनी सम्वत 2041–2044 में दर्ज एवं अंकित रही है जिसमें कोई भूदान का नोट अंकित नहीं था राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विपरित भूदान नोट का अंकन किया गया है। इसलिए उक्त नोट को हजफ कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकराय के जवाब का अवलोकन किया गया है। तहसीलदार सिकराय द्वारा जवाब में यह तथ्य अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 159 दिनांक 27.03.1986 द्वारा भूदान होल्डर होना स्वीकार हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त नोट का अंकन नियमानुसार ही हुआ है जिसे हटाया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)